



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092023-249049
CG-DL-E-29092023-249049

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4075]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 2023/आश्विन 5, 1945

No. 4075]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 2023/ASVINA 5, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2023

का.आ. 4245(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 2172 (अ), तारीख 27 अगस्त, 2014 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में-

- (i) पैरा 2 में, उप-पैरा (1) में, "राज्य सरकार " शब्दों से आरंभ होने वाले और "जोनल मास्टर प्लान तैयार करेगी, अर्थात्" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, इस अधिसूचना के अनुसार, 26.09.2023 से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों और राज्य सरकार के निम्नलिखित संबद्ध विभागों के परामर्श से एक जोनल मास्टर प्लान तैयार करेगी, अर्थात्"।

- (ii) पैराग्राफ 3 में, उप-पैरा (10) में, "और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदित होने" शब्दों का लोप किया जाएगा;

[सं. 25/8/2013-ईएसजेड-आरई]

डॉ. एस. करकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 2172 (अ), तारीख 27 अगस्त, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी;

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2023

S.O. 4245(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section(ii), *vide* S.O. number 2172 (E), dated the 27th August, 2014, namely :—

In the said notification,—

- (i) in paragraph 2, in sub-paragraph (1), for the portion beginning with the words “The State Government shall” and ending with the words “the Ministry of Environment, Forest and Climate change”, the following shall be substituted, namely:-
“The State Government shall, within a period of two years with effect from 26.09.2023, in accordance with this notification prepare a Zonal Master Plan for the purpose of the Eco-sensitive Zone”;
- (ii) in paragraph 3, in sub-paragraph (10), the words “approved by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change”, shall be omitted.

[No. 25/8/2013-ESZ-RE]

DR. S. KERKETTA, Scientist “G”

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. number 2172 (E), dated the 27th August, 2014.